तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
19.12.25	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्य[illegible] दौरे मे तशरीफ रखते है ' अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली 'गबिक कार्यवाही हेतु दिनांक....19.12.25....को पेश हो। [illegible]
19.12.25	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्य[illegible] दौरे मे तशरीफ रखते है ' अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली 'गबिक कार्यवाही हेतु दिनांक..30.01.26....को पेश हो। [illegible]
30-1-26	पत्रावली पेश हुई वादी अधिवक्ता उपस्थित। बहस सुनी गई वास्ते आदेश निर्णय पत्रावली 6-2-26 को पेश हो।
6-2-2026	पत्रावली पेश हुई वादी अधिवक्ता उपस्थित। आदेश सुनाया गया। वादीया का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [illegible] उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला–बून्दी(राज0)

75 / दावा / 2022
दायरा दिनांक 12.07.2022

पीठासीन अधिकारी
श्री सुरेन्द्र सिंह चौधरी(RAS)

बउनवान

1. गुलाब बाई पुत्री शंकर जाति बैरवा निवासी पापडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0

–वादी

बनाम

1. रामपाल आ0 मूलचन्द जाति बैरवा निवासी पापडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी।
2. पांचू लाल आ0 मूलचन्द जाति बैरवा निवासी पापडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी।
3. विनोद आ0 पांचूलाल जाति बैरवा निवासी पापडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी।
4. मनराज आ0 रामपाल जाति बैरवा निवासी पापडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी।
5. धोला बाई पत्नि रामपाल जाति बैरवा निवासी पापडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी।
6. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।

–प्रतिवादीगण

अधिवक्ता– अब्दुल सत्तार एडवोकेट
अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट

दिनांकः– 06.02.2026

निर्णय

वादीनी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 आर0टी0एक्ट के तहत् वाद पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि कृषि भूमि खसरा संख्या 99 रकबा 0.32 हैक्टर वाके ग्राम शिवगंज तहसील इन्द्रगढ़ में स्थित है। वाद वर्णित कृषि भूमि के उतर दिशा व पश्चित दिशा मे आम रास्ता गडार है वादिया की कृषि भूमि पर उतर पश्चिम दिशा के कोने पर करीब 30 गुणा 30 वर्ग फीट का भूखण्ड पर प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 ने दिनांक 20.06.2022 को जबरन नींव खोद कर मकान निर्माण करने की कोशिश की है जिसकी जानकारी वादियां को होने पर वादिया ने मौके पर जाकर प्रतिवादीगण को रोका तो प्रतिवादीगण वादियां के साथ गाली गलौच कर मारने पीटने की कोशिश करने लगे इस पर वादियां ने भाग कर अपनी जाच बचाई जिसकी वादियां ने पुलिस थाना इन्द्रगढ़ में दिनांक 22.06.2022 को हाजिर होकर रिपोर्ट पेश की थी। प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 ने वादियां को धमकी दी कि वादिया की कृषि भूमि पर जबरन ताकत के बल पर कब्जा करके रहेगे जबकि वाद वर्णित आराजी खसरा संख्या 99 ग्राम शिवगंज में प्रतिवादीगण का कोई लेना–देना नही है वादिया अकेली व गरीब महिला होने के कारण प्रतिवादीगण ताकत के बल पर वादियां की कृषि भूमि को हडपना चाहते है ओर प्रधानमंत्री आवास योजना में स्वीकृत मकान बनाने की सहायता राशि से वादियां की कृषि भूमि पर जबरन कब्जा कर मकान बनाना चाहते है जिसका प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 को कानूनन अधिकार नही है वादियां को अधिकार प्राप्त है कि माननीय न्यायलय में स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश कर अपने खाते की कृषि भूमि पर अपने अधिकारो की सुरक्षा में स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पाबन्द करवाये ओर अन्त में निवेदन किया कि प्रतिवादीगण जबरन मकान बनाने की कोशिश नही करे एंव वादिया के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार का दखल नही देवे। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned with OKEN Scanner

वादीया का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादीगण संख्या 2,3,6 बावजूद तामील सम्मन अनुपस्थित रहे एंव प्रतिवादीगण संख्या 1,4,5 की तरफ से वकालतनामा दिनांक 13.01.2023 को पेश किया गया प्रतिवादीगण एंव प्रतिवादीगण अधिवक्ता को बार–बार अवसर दिए जाने पश्चात भी जवाब दावा पेश नही किया गया दिनांक 21.06.2024 को प्रतिवादीगण का जवाब दावा बन्द कर दिनांक 21.06.2024 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादियां ने अपने वाद पत्र के समर्थन में स्वंय का साक्ष्य शपथ पत्र एंव दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 नकल जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 ग्राम शिवगंज, प्रदर्श 2 नक्शा ट्रेस, प्रदर्श 3 खसरा गिरदावरी सम्वत 2075 प्रस्तुत किए है।

वादीया के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई वादियां के अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि वाद वर्णित आराजी खसरा संख्या 99 रकबा 0.32 हैक्टर कृषि भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा 30 गुणा 30 वर्गफीट भूखण्ड पर जबरन नींव खोदकर मकान निर्माण शुरू कर दिया गया जिसको वादियां को पता चलने पर रूकवाया गया एंव प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 के विरूद्व थाना इन्द्रगढ़ में प्रथम सूचना रिपोर्ट दी गई थी कि प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 वादियां की कृषि भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते है यदि प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया गया तो वादियां को अपूर्णीय क्षति कारित होगी जिसकी भरपाई किया जाना वादिया को सम्भव नही होगा ओर निवेदन किया कि प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वह वादियां की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 99 रकबा 0.32 हैक्टर वाके ग्राम शिवगंज पर किसी प्रकार की दखलदांजी नही करे।

हमारे द्वारा वादिया के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एंव पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श 1 नकल जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 के अवलोकन से विवादित आराजी खसरा संख्या 99 रकबा 0.32 हैक्टर वादियां की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है जिस पर प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 द्वारा जबरन कब्जा कर निर्माण करने का कोई हक अधिकार नही बनता है। प्रथम दृष्टया यदि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 जबरन कब्जा करते है तो वादिया को अपूर्णीय क्षति कारित होगी सुविधा का संतुलन भी वादिया के पक्ष में बनता है अतः प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि प्रतिवादीण 1 लगायत 5 वादिया की आराजी खसरा संख्या 99 रकबा 0.32 हैक्टर पर किसी भी भाग पर कब्जा न तो स्वंय करे न ही अपने किसी प्रतिनिधि/एजेन्ट से करावे। दौराने वाद प्रतिवादीगण द्वारा वादिया की कृषि भूमि पर कोई निर्माण किया गया हो तो तहसीलदार इन्द्रगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त निर्माण को प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 के हर्जे खर्चे पर मौके से हटाने की कार्यवाही करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 06.02.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned with OKEN Scanner